फर्द अहकाम

बनाम दुर्गालाल

नाम न्यायालय उप० ए० सांगानेर

केस संख्या 22/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	5/2/25	[illegible] प्रार्थी उपस्थित [illegible] प्रार्थी को प्रार्थना पत्र [illegible] पुनरावलोकन किये जाने आदेश दिनांक 19/12/2024 पर बहस सुनी गई। [illegible] प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र वाद [illegible] को रोकते हुए प्रार्थी का (प्रार्थना) पत्र वाद [illegible] आदेश दि० 19/12/2024) को स्वीकार [illegible] प्रकरण में नये सिरे से पुनः आदेश करने हेतु निकेतन किया। [illegible], राजस्व रिकार्ड, प्रार्थना पत्र [illegible] पुनरावलोकन आदेश दि० 19/12/2024, निर्णय दिनांक 19/12/2024 का अवलोकन अवलोकन करने व वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19/1/24 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान प्रार्थी प्रतिवादी व अप्रार्थीगण/वादीगण के खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादीगण ने अपने मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित मद नम्बर 2 में अंकित वादग्रस्त खसरा नम्बरान (खाता संख्या 37 में रकबा 1.07 है० में हिस्सा 1/4, खाता सं० 71 में रकबा 1.59 है० में हिस्सा 1/8, खाता सं 67 में रकबा 1.64 है में हिस्सा 1/4, खाता सं० 18 में रकबा 2.15 है० में हिस्सा 1/4, खाता सं० 21 में रकबा 0.22 है० में हिस्सा 1/2 खाता सं० 321 में रकबा 1.13 है० में हिस्सा 1/4 एवं सार्वक खसरा नम्बर 323 जिसके ग्राम पं० न० 886, 887, 888 कुल रकबा 0.71 है० ग्राम अमयपुरा तहसील सांगानेर के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। जबकि इस न्यायालय द्वारा अन्तिम स्थगन आदेश दिनांक 18/01/24 में अप्रार्थी की खातेदारी खाता० 74, 75, 34, 33, 19, 47, 11, 40, 10 व 50 के संबंध में स्थगन आदेश जारी कर दिया है जबकि उक्त समस्त खातो की भूमि पर वादीगण ने अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नही चाहा था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वाक्य पुनरावलोकन किये जाने आदेश दिनांक 19/12/2024 स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 74 में आराजी खसरा नम्बर 115/1017, 116, 117, 209/999, 380,

— लगातार

फर्द अहकाम

बनाम दुर्गालाल

न्यायालय उप० ए० सांगानेर

संख्या 22/2025

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		388, 389, 402, 403, 414, 461, 468, 551, 552 कुल रकबा 3.11 है०, खाता संख्या 75 के खसरा नम्बर 710 रकबा 0.04 है०, खाता संख्या 34 के खसरा नम्बर 713 रकबा 0.39 है०, खाता संख्या 33 के ख० न० 352, 407, 425, 426, 463 कुल रकबा 0.58 है०, खाता संख्या 19 के ख० नम्बरान 366, 367, 368, 370/987 कुल रकबा 0.22 है०, खाता संख्या 47 के खसरा नम्बरान 522/1009, 116, 523, 524 कुल रकबा 0.40 है०, खाता संख्या के खसरा नम्बर 824, 825, 825/988, 826, 827 842, 843, 845, 918/1 कुल रकबा 1.27 है०, खाता संख्या 40 के खसरा नम्बरान 734, 739, 742, 743 कुल रकबा 1.64 है०, खाता संख्या 10 के खसरा नम्बरान 532, 535, 538, 575/1010, 576 577 581 कुल रकबा 1.24 है०, खाता संख्या 45 के खसरा नम्बर 41, 42, 43, 44, 45, 46 कुल रकबा 1.13 है० को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19/12/24 से निष्प्रभावी किये जाते है तथा खाता संख्या 37 में रकबा 1.07 है० में हिस्सा 1/4, खाता सं० 71 में रकबा 1.59 है० में हिस्सा 1/8, खाता संख्या 67 में रकबा 1.64 है० में हिस्सा 1/4, खाता संख्या 18 में रकबा 2.15 है० में हिस्सा 1/4, खाता संख्या 21 में रकबा 2.22 है० में हिस्सा 1/2 तथा खाता सं० 321 रकबा 1.13 है० में हिस्सा 1/4 एवं सार्वक ख० न० 323 जिसके ग्राम ख० न० 886, 887, 888 कुल रकबा 0.71 वाके ग्राम अमयपुरा पटवार हल्का कपूरा काला तहसील सांगानेर में अप्रार्थीगण को ता-फैसला द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्ध किया जाता है। पक्षकारों नम्बर 1 के कब्जे बाद वकील [illegible]	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)